कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 99 / 2021 / 10–11 / 16 / 4626 भोपाल, दिनांक 29/08/2024

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः–जिला नीमच के अन्तर्गत कालिया खो योजना के निर्माण हेतु 22.26 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–वेबपोर्टल परिवेश 1.0 पर अपलोड प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/123146/2021

––00––

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में लेख है कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु 19.50 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसे वर्तमान में आवेदक विभाग द्वारा संशोधित किया जाकर 22.26 हे0 वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	प्रकरण से संबंधित विषय	विवरण
1	ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक	FP/MP/IRRIG/123146/2021
2	आवेदक संस्था	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच, मध्यप्रदेश।
3	वनमण्डल का नाम	नीमच
4	आवेदित वनभूमि का रकबा (हे. में)	22.26
5	प्रभावित गैर वन भूमि (हे. में)	0.54
6	कुल रकबा (हे. में)	22.80
7	परियोजना की लागत (रू. लाख में)	564.26 लाख (प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति पृष्ठ–1 पर संलग्न है।)
8	क्या परियोजना अंतर्गत लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र तैयार किया गया है:	हॉ। पृष्ठ संख्याः 13 से 16
9	क्या प्रस्तावित वन भूमि का त्रिस्तरीय समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि का उपयोग हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त है?	हॉ। पृष्ठ क्रमांकः 17 से 21
	प्रस्तावित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्याः	449 वृक्ष प्रभावित होगें।
10	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण :–	(नीचे तालिका देखें)

कलेक्टर जिला नीमच का आदेश दिनांक	ग्राम	खसरा नं.	हस्तांतरित रकबा (हेक्टे. में)
05.11.2020	हांसपुर	1024, 718	20.00
10.05.2023	दांता	498	2.76
		कुल रकबा :–	**22.76**

उपरोक्त जिला कलेक्टर, नीमच के आदेशों की प्रति पृष्ठ संख्या 22 एवं 25 पर संलग्न है।

–2–

11	11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण का विवरण :—	परियोजना में प्रभावित 22.26 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा निम्नानुसार तैयार की गयी है :— <table><tr><th>ग्राम / परिक्षेत्र</th><th>खसरा नं. / कक्ष क्रं.</th><th>रकबा</th><th>राशि (लाख में)</th></tr><tr><td>हांसपुर</td><td>1024, 718</td><td>20.00</td><td>67,45,000</td></tr><tr><td>दांता</td><td>498</td><td>2.76</td><td>25,39,533</td></tr><tr><td>मनासा</td><td>कक्ष क्रं.320</td><td>36.00</td><td>1, 24,34,119</td></tr></table> वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा प्रकरण में अवगत कराया है, कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त राजस्व गैर वनभूमि पथरीली एवं पहाड़ीनुमा होने के कारण 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण संभव नहीं है, जिस कारण शेष पौधो को बिगड़े वन क्षेत्र कक्ष क्रं. —320 में रोपित किया जावेगा। मुख्य वन संरक्षक, वृत्त उज्जैन की तकनीकी स्वीकृति सहित योजना की प्रति पृष्ठ संख्या 43 पर संलग्न है।
12	क्या प्रस्ताव के साथ वनमंडलाधिकारी, की साईट इंस्पेक्शन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न की गई है?	हॉ, वनमण्डलाधिकारी, नीमच की संशोधित रकबा 22.26 हे. वनभूमि की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 109 पर संलग्न है।
13	क्या प्रस्ताव के साथ न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है?	हॉ। पृष्ठ क्रमांकः 112
14	क्या प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गयी है?	वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा स्थानीय व्यक्तियों, पशुओं एवं वन्यप्राणीयों को पानी की आपूर्ति होने के साथ ही क्षेत्र में जल स्तर में सुधार होगा, उक्त तथ्यों पर अनुशंसा दी गयी है। पृष्ठ — 113
15	क्या प्रकरण में वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा की गयी है?	हॉ, मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा की गयी अनुशंसा पृष्ठ 114 पर संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

25.08.24

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ—3 / 99 / 2021 / 10—11 / 16 / 4627 भोपाल, दिनांक 29/08/2024

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, नीमच, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

29.08.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल